आर.एन.मित्तल जे., से पहले

बैंक ऑफ बड़ौदा,-याचिकाकर्ता

बनाम

गुरचरण सिंह -प्रतिवादी.

1985 का नागरिक संशोधन संख्या 1670

29 अक्टूबर 1985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 6 नियम 17 और आदेश 8 नियम 6-ए - धन की वसूली के लिए मुकदमा शुरू किया गया - मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान - लिखित में संशोधन के लिए प्रार्थना करते हुए प्रतिवादी द्वारा बाद में किया गया आवेदन प्रतिदावा स्थापित करने के लिए बयान-ऐसे आवेदन को न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है-न्यायालय का आदेश-क्या टिकाऊ है।

निर्णय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6-ए को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी बचाव देने से पहले या बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले प्रतिदावा दायर कर सकता है। लिखित बयान में इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने से पहले प्रतिदावा दायर कर सकता है और लिखित बयान में संशोधन करके उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लिखित बयान दाखिल करने से पहले प्रतिदावा स्थापित करने के प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मुकदमे के निपटान में देरी नहीं हो सकती है। ऐसे में लिखित बयान संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन के आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती और अदालत का आदेश टिकाऊ नहीं है।

(पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री आर. सी. जैन, जिला न्यायाधीश गुड़गांव के न्यायालय के 25 जनवरी, 1985 के आदेश में संशोधन के लिए प्रतिवादी (प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलकर्ता) को लिखित बयान में संशोधन करने और आदेश 8 नियम 6-ए के तहत प्रतिदावा करने की अनुमति दी गई। , सिविल प्रक्रिया संहिता।

याचिकाकर्ता के वकील जे.एस. शाहपुरी,

प्रतिवादी की ओर से पी. डी. शाकिर, वकील।

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे. (मौखिक)

(1) यह पुनरीक्षण याचिका वादी (प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिवादी) द्वारा जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के दिनांक 25 जनवरी, 1985 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी (प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलकर्ता) को संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। लिखित बयान और आदेश 8 नियम 6-ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिदावा करना।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि वादी ने एक मुकदमा दायर किया 54,273 रुपये की वसूली प्रतिवादी के खिलाफ जिसका उसने विरोध किया। अंततः, ट्रायल कोर्ट ने 19 फरवरी, 1982 को मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रतिवादी जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष अपील में गया। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने लिखित बयान में संशोधन की मांग करते हुए संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन दिया। यह दलील देने की मांग की गई थी कि उसके द्वारा गिरवी रखे गए सामान में उस समय जंग लग गया था जब वह बैंक की लापरवाही के कारण उसकी हिरासत में था। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें प्रतिदावे के माध्यम से बैंक से क्षतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जाए। यह आरोप लगाया गया था कि यह तथ्य उन्हें तब पता चला जब बैंक के प्रबंधक श्री एम. एल. चोपड़ा पी. डब्ल्यू. 4 और श्री जे. पी. अग्रवाल पी. डब्ल्यू. 7 ने अदालत में बयान दिए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया था। नतीजतन, इसने अपील स्वीकार कर ली, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति देने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया। बैंक इस न्यायालय में पुनरीक्षण लेकर आया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शाहपुरी का तर्क है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी को लिखित बयान में संशोधन करके आदेश 8 के नियम 6-ए के तहत काउंटर दावा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि काउंटर दावा स्थापित किया जा सकता है। लिखित बयान प्रस्तुत करने से पहले और उसके बाद नहीं।

(4) मैंने तर्क पर विधिवत विचार किया है और विद्वान वकील की प्रस्तुति में तथ्य पाया है। प्रश्न का निर्धारण करने के लिए नियम 6-ए और 6-बी को पढ़ना उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैं:-

> "6-ए. प्रतिवादी का प्रतिदावा। (1) एक मुकदमे में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत मुजरा करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ प्रतिदावा के माध्यम से, किसी कारण के संबंध में दावे का कोई भी अधिकार स्थापित कर सकता है। मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले या बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, वादी के खिलाफ प्रतिवादी को मिलने वाली कार्रवाई, चाहे ऐसा प्रतिदावा दावे की प्रकृति में हो क्षति के लिए या नहीं :.....
>
> (2)...

(3)

(4)

6-बी. प्रतिदावा कहा जाना चाहिए--जहां कोई भी प्रतिवादी प्रतिदावा के अधिकार का समर्थन करने के लिए किसी भी आधार पर भरोसा करना चाहता है, उसे अपने लिखित बयान में विशेष रूप से बताना होगा कि वह प्रतिदावा के माध्यम से ऐसा करता है।

नियमों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपना बचाव देने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले प्रति-दावा दायर कर सकता है। उन्हें लिखित बयान में उस तथ्य का जिक्र भी करना होगा इस प्रकार यह सबूत है कि प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने से पहले प्रतिदावा दायर कर सकता है, और लिखित बयान में संशोधन करके उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लिखित बयान दाखिल करने से पहले प्रतिदावा स्थापित करने के प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मुकदमे के निपटान में देरी नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को उसके खिलाफ मुकदमे का फैसला होने के बाद भी प्रतिदावा स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जो, मेरे विचार से, नहीं किया जा सकता है।

(5) उपरोक्त कारणों से, मैं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं, आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं और अपीलीय न्यायालय को मामले को उसके मूल क्रमांक पर दर्ज करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का निर्देश देता हूं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा